



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122023-250755
CG-DL-E-19122023-250755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2023/अग्रहायण 28, 1945

No. 716]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2023/AGRAHAYANA 28, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2023
(आय-कर)

सा.का.नि. 900(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उन्नतीसवा संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 में,—
(क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नियम 10नक में,—

(i) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(च) “अंतः-समूह ऋण” से किसी सहबद्ध उद्यम, जो गैर-निवासी है, को दिया गया ऋण अभिप्रेत है, जहां ऋण—

- (i) किसी ऐसे उद्यम द्वारा नहीं दिया गया है, जो एक वित्तीय कंपनी है, जिसके अंतर्गत बैंक या वित्तीय संस्था या कोई उद्यम सम्मिलित है, जो कारबार के साधारण प्रक्रम में उधार देने या उधार लेने में लगा हुआ है ; और
- (ii) जिसके अंतर्गत कोई जमा रेखा या कोई अन्य उधार सुविधा नहीं है, जिसकी पुनः संदाय के लिए कोई नियत अवधि नहीं है ;”

(ii) खंड (ज) के उपखंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(vi) ऐसी आस्तियों, जिन पर प्रचालन व्यय में अवक्षयण को सम्मिलित किया जाता है, से भिन्न आस्तियों या विनिधान के अंतरण पर हानि ;”

(iii) खंड (ट) के उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(iii) ऐसी आस्तियों, जिन पर प्रचालन व्यय में अवक्षयण को सम्मिलित किया जाता है, से भिन्न आस्तियों या विनिधान के अंतरण पर आय ;”

(ख) नियम 10नघ में,--

(i) उपनियम (2क) में, सारणी में—

(अ) क्रम सं. 4 में, स्तंभ सं. (3) में,--

- (I) खंड (i) “सीआरआईएसआईएल” शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (II) खंड (ii) “सीआरआईएसआईएल” शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (III) खंड (iii) “सीआरआईएसआईएल” शब्द का लोप किया जाएगा ;
- (IV) खंड (iv) “सीआरआईएसआईएल” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(आ) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

“5.	नियम 10नघ के खंड (iv) में निर्दिष्ट अंतरा-समूह ऋणों को देना, जहां ऋण की रकम का अवधारण विदेशी मुद्रा में है।	पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घोषित व्याज दर सुसंगत पूर्व वर्ष के 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार सुसंगत विदेशी मुद्रा में संदर्भ दर से कम नहीं है, धन,-- (क) यदि सहबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण की रकम, जिसके अंतर्गत सभी सहबद्ध उद्यमों को दिया गया ऋण सम्मिलित है, सुसंगत पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समग्र रूप से 250 करोड़ भारतीय रुपए की राशि के समतुल्य से अनधिक नहीं होती है : (i) 150 आधारीक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग एएए, एए+, एए, एए-, ए+, ए, ए- या समतुल्य है ;
-----	---	---

	(ii) 300 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग बीबीबी+, बीबीबी, बीबीबी- या समतुल्य है ; (iii) 400 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग बीबी+, बीबी, बीबी-, बी+, बी, बी-, सी+, सी, सी-, डी या समतुल्य है या जहां सहबद्ध उद्यमों की क्रेडिट रेटिंग उपलब्ध नहीं है ; (ख) यदि सहबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण की रकम, जिसके अंतर्गत सभी सहबद्ध उद्यमों को दिया गया ऋण सम्मिलित है, सुसंगत पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समग्र रूप से 250 करोड़ भारतीय रुपए की राशि के समतुल्य से अधिक होती है : (i) 150 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग एएए, एए+, एए, एए-, ए+, ए, ए- या समतुल्य है ; (ii) 300 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग बीबीबी+, बीबीबी, बीबीबी- या समतुल्य है ; (iii) 450 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग बीबी+, बीबी, बीबी-, बी+, बी, बी- या समतुल्य है ; (iv) 600 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग सी+, सी, सी-, डी या समतुल्य या जहां सहबद्ध उद्यमों की क्रेडिट रेटिंग उपलब्ध नहीं है ।”;
--	---

(ii) उपनियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “संदर्भ दर” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

- (i) अमेरिकी डालर के लिए छह मास की आवधिक प्रत्याभूत ओवरनाइट वित्तीय दर (एसओएफआर), इस समय शिकागो मर्कन्टाइल एक्सचेंज (सीएमई) द्वारा प्रशासित है, 45 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ ;
- (ii) यूरो के लिए छह मास की यूरो इंटर बैंक प्रस्थापित दर (ईयूआरआईबीओआर), इस समय यूरोपियन मनी मार्किट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रशासित है ;
- (iii) यूके पाउंड स्ट्रलिंग के लिए छह मास का आवधिक स्ट्रलिंग ओवरनाइट इंडेक्स औसत (एसओएनआईए), इस समय आईसीई बैंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन/ रिफिनिटिव द्वारा प्रशासित है, 30 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ ;
- (iv) जापानी येन के लिए, छह मास की टोकियो आवधिक जोखिम मुक्त दर (टीओआरएफ), इस समय क्यूयूआईसीके बैंचमार्कस इनकारपोरेटड द्वारा बैंचमार्कड है, 10 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ ;

- (v) आस्ट्रेलियन डालर के लिए छह मास की बैंक बिल स्वेप दर (बीबीएसडब्ल्यू) इस समय आस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज द्वारा प्रशासित है; और
- (vi) सिंगापुर डालर के लिए, छह मास की कंपाउंड सिंगापुर ओवरनाइट दर औसत (एसओआरए), इस समय सिंगापुर मानीटरी आथारिटी द्वारा प्रशासित है, 45 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ ;

(ख) “क्रेडिट रेटिंग” से सहबद्ध उद्यम को क्रेडिट रेटिंग अभिप्रेत है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत एवं भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्ययित क्रेडिट रेटिंग अभिकरण द्वारा समनुदेशित की है, जो सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए लागू होती है, यद्यपि--

- (i) जहां सहबद्ध उद्यम के पास केवल एक क्रेडिट रेटिंग है, तब ऐसी रेटिंग को उसकी क्रेडिट रेटिंग माना जाएगा ; और
- (ii) जहां सहबद्ध उद्यम के पास एक से अधिक अभिकरण से क्रेडिट रेटिंग है तब इन रेटिंग में से सबसे कम रेटिंग को उसकी क्रेडिट रेटिंग माना जाएगा ।’।

[अधिसूचना सं. 104/2023/फा. सं. 370142/26/2023-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 898(अ) तारीख 18 दिसंबर, 2023 द्वारा किया गया ।